FORM NO. III
फर्द अहकाम
(निमय 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

....न......................सन्...................

किस्म मुकदमा..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/12/24	पत्रावली पेश ... कार्यवाही पालना हेतु पत्रावली दिनांक:- 29/1/25 को पेश हो।	
29/1/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 19/3/25 को पेश हो।	
19/3/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 15/5/2025 को पेश हो।	
14/5/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक 18/6/25 को पेश हो।	
18/6/25	पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 25/06/2025 को पेश हो।	
25/6/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान मुख्य रूप से प्रा०पत्र व जवाब के अनुसार रही। हमने वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने प्रकरण ख०नं० 144 वाके ग्राम ओवण मे स्वयं का कब्जा	

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
होना प्रकट करते हुये उक्त ख०न० पर से प्रार्थी को बेदखल नहीं करने, दखलन्दाजी नहीं करने का अनुतोष अप्रार्थीगण के विरुद्ध चाहा गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ने भूमि अप्रार्थी स०2 को बेचान कर दी है। प्रार्थीगण का ख०न० 144 मे कोई कब्जा काश्त नहीं होना, रिकॉर्ड मे कब्जा दर्ज नहीं होना कथन किया है। R.T.Act की धारा 188 के तहत केवल खातेदार ही वाद पेश कर सकता है। प्रार्थीगण खातेदार नहीं होने से प्रकरण खारिज किये जाने का अप्रार्थीगण ने निवेदन किया है।	
प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :-	
1. प्रथम दृष्टया मामला :- विवादित भूमि ख०स० 144 ग्राम ओवण प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण ने स्वयं को कब्जेदार होना बताया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।	
2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :- विवादित भूमि के प्रार्थीगण खातेदार नहीं है, केवल भूमि पर अपना कब्जा बताया है। धारा 188 R.T.Act में वादी का खातेदार होना आवश्यक है। खातेदार नहीं होने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के हक में नहीं बनता है।	
3. अपूरणीय क्षति की सम्भावना :- प्रार्थीगण केवल विवादित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त है, खातेदार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति की सम्भावना नहीं बनती है।	
उपरोक्त बिन्दुवार विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं होने,	

उपखण्ड अधिकारी सिवाना

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सुविधा संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के हक में नहीं बनने व प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की संभावना नहीं बनने से प्रा० पत्र प्रार्थीगण खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली